

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3837] No. 3837] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 2018/आश्विन 6, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2018/ASVINA 6, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2018

सं. 37 / 2015—2020

विषयः आईटीसी (एचएस) २०१७, अनुसूची – १ (आयात नीति) के अध्याय ०७ के तहत मटर की आयातनीति में संशोधन।

का.आ. 5016(अ).— समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिठत विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची 1 (आयात नीति) में निम्नलिखित संशोधन करती है:

एक्जिम कोड 0713 10 00 के तहत वर्गीकृत मटर (पीली मटर, हरी मटर, डन मटर और कास्पा मटर सहित) का आयात 31.12.2018 तक ''प्रतिबंधित'' है।

इस अधिसूचना का प्रभावः एक्जिम कोड 0713 10 00 के तहत वर्गीकृत मटर (पीली मटर, हरी मटर, डन मटर और कास्पा मटर सहित) का आयात 31.12.2018 तक ''प्रतिबंधित'' है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. एम-5012 / 300 / 2002 / पीसी-2(ए) / भाग-VIई-9019]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव,

5699 GI/2018 (1)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE) NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2018 No. 37/2015-2020

Subject: - Amendment in the import policy of Peas under Chapter 7 of the ITC (HS) 2017, Schedule -I (Import Policy).

S.O. 5016(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby, makes the following amendment in ITC (HS) 2017, Schedule 1 (Import Policy):

Import of Peas classified under Exim Code 0713 10 00 (including Yellow peas, Green peas, Dun peas and Kaspa peas) is "Restricted" till 31.12.2018.

Effect of this Notification: Import of Peas classified under Exim Code 0713 10 00 (including Yellow peas, Green peas, Dun peas and Kaspa peas) is "Restricted" till 31.12.2018.

This issues with the approval of the Commerce and Industry Minister.

[F.No.M-5012/300/2002/PC-2(A)/Part – VI/e – 9019]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.